भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2664
दिनांक 16 दिसंबर, 2025 / 25 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को निशाना बनाकर साइबर धोखाधड़ी

2664. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में विशेषकर होटल बुकिंग, यात्रा पैकेज या दान संग्रह के नाम पर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को निशाना बनाकर साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ख) यहि हाँ, तो वर्ष 2022 से वर्ष 2025 तक राज्य-वार और वर्ष-वार दर्ज मामलों, गिरफ्तारियों और जाँच की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धार्मिक और पर्यटन स्थलों के नाम पर गूगल सर्च, सोशल मीडिया और अन्य खुले प्लेटफार्मों पर अनेक फर्जी वेबसाइटों और मोबाइल नंबरों का प्रचार किया जा रहा है, जिनके माध्यम से धोखेबाज यूपीआई या पेटीएम के माध्यम से यात्रियों से पैसे वसूलते हैं और यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का ऐसे ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफार्मों और ट्रैवल एजेंसियों के सत्यापन और पंजीकरण के लिए एक अनिवार्य प्रणाली लागू करने का विचार है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (घ) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आँकडों को अपने प्रकाशन "क्राइम इन इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2023 के लिए है। एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 से 2023 की अवधि के दौरान पंजीकृत मामलों, आरोप-पत्रित मामलों, दोषी ठहराए गए मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, आरोप-पत्रित व्यक्तियों और

साइबर अपराधों के लिए धोखाधड़ी के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्तियों (माध्यम / लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों को शामिल करते हुए) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को निशाना बनाकर साइबर धोखाधड़ी करने से संबंधित विशिष्ट जानकारी एनसीआरबी द्वारा नहीं रखी जाती है।

तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को निशाना बनाकर साइबर धोखाधड़ी सहित साइबर अपराधों से निपटने के तंत्र को मजबूत करने के लिए, केंद्र सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. पर्यटन मंत्रालय अपने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदायगी, धोखाधड़ी आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त करता है। सीपीजीआरएएमएस पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन यात्रा एजेंटों सहित पर्यटन और आतिथ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए 24x7 उपलब्ध है।

ii. पर्यटकों के लिए मानकीकृत सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय यात्रा और आतिथ्य उद्योग में ऑनलाइन ट्रैवल एजेंटों सहित सेवा प्रदाताओं की विभिन्न श्रेणियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक श्रेणी में मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता देता है। यदि पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित यात्रा और पर्यटन स्टेकहोल्डर अपेक्षित सेवा मानकों को पूरा करने के तरीके से काम करते नहीं पाए जाते अथवा उनके खिलाफ सेवाओं में कमी, अनियमितताओं आदि से संबंधित गंभीर प्रकृति की शिकायतें प्राप्त होती हैं, या यह पाया गया है कि एजेंसी को झूठे या मनगढ़ंत दस्तावेजों आदि के आधार पर मान्यता मिली है, तो पर्यटन मंत्रालय, दी गई मान्यता को वापस लेने/समाप्त करने/रद्द करने पर विचार कर सकता है।

iii. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

iv. वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' (सीएफसीएफआरएमएस) शुरू की गई है। दिनांक 31.10.2025 तक 23.02 लाख से अधिक शिकायतों में 7,130 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

v. गैरकानूनी कार्य करने के लिए उपयोग की जा रही किसी भी जानकारी, डेटा या संचार लिंक को हटाने या अक्षम करने की सुविधा के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा आईटी मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'सहयोग' पोर्टल शुरू किया गया है। आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 (3) (ख) के तहत चार धाम यात्रा, परमार्थ निकेतन, सोमनाथ आदि के लिए होटल बुकिंग प्रतिरूपण से संबंधित 18 फिशिंग वेबसाइटों को अक्षम कर दिया गया है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट और आई4सी ने ट्रस्ट का प्रतिरूपण करने वाली 75 से अधिक फर्जी वेबसाइटों और विज्ञापनों की पहचान की है और उन्हें अक्षम किया है।

vi. आई4सी, गृह मंत्रालय द्वारा प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के माध्यम से दिनांक 19.04.2025 को देश भर में विशेष रूप से धार्मिक तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को लक्षित करने वाली ऑनलाइन बुकिंग धोखाधड़ी के बारे में जनता को सचेत करने के लिए एक अड्वाइज़री प्रकाशित की गई थी।

*****

अनुलग्नक-I

लोक सभा अता.प्र.सं. 2664 दिनांक 16.12.2025

वर्ष 2022 से 2023 की अवधि के दौरान साइबर अपराधों (माध्यम /लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) संबंधी धोखाधड़ी के तहत दर्ज किए गए मामलों (सीआर), आरोप पत्रित मामलों (सीसीएस), दोष सिद्ध मामलों (सीओएन), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्तियों (पीसीएस) और दोष सिद्ध व्यक्तियों (पीसीवी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्योरा

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022						2023					
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	984	69	2	141	125	3	909	77	0	75	90	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	16	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	1441	829	2	1311	907	2	2611	1540	2	1899	1877	9
5	छत्तीसगढ़	42	19	0	37	37	0	29	10	0	11	11	0
6	गोवा	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	108	43	0	93	86	0	112	32	0	88	70	0
8	हरियाणा	44	28	0	62	60	0	11	6	0	16	16	0
9	हिमाचल प्रदेश	9	0	0	2	0	0	7	5	0	0	6	0
10	झारखंड	98	53	0	85	123	0	43	21	0	21	21	0
11	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	केरल	26	2	0	9	2	0	117	3	0	15	4	0
13	मध्य प्रदेश	180	36	4	83	78	9	91	18	6	52	47	7
14	महाराष्ट्र	2202	168	0	425	254	0	2075	276	0	565	449	0
15	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	957	62	0	87	106	0	1362	75	0	139	160	0
20	पंजाब	61	6	0	43	13	0	25	16	1	27	18	2
21	राजस्थान	292	47	13	70	71	13	84	9	0	18	17	0
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	251	21	0	78	31	0	887	14	0	46	26	0
24	तेलंगाना	9581	1786	34	1730	2974	46	10626	1760	6	505	3757	6
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	766	151	74	227	202	87	287	86	0	63	123	0
27	उत्तराखण्ड	31	13	0	14	15	0	18	19	0	19	24	0
28	पश्चिम बंगाल	30	1	0	27	2	0	7	3	0	6	3	0
	कुल राज्य	**17130**	**3337**	**129**	**4529**	**5089**	**160**	**19301**	**3970**	**15**	**3565**	**6719**	**24**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दिल्ली	331	51	0	249	119	0	163	31	7	85	61	11
33	जम्मू और कश्मीर	7	3	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**340**	**54**	**0**	**249**	**124**	**0**	**165**	**31**	**7**	**85**	**61**	**11**
	कुल (अखिल भारत)	**17470**	**3391**	**129**	**4778**	**5213**	**160**	**19466**	**4001**	**22**	**3650**	**6780**	**35**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 'क्राइम इन इंडिया'।